न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:–51/दावा/2020 दायरा दिनांक :– 16.06.2020

GCMS ID–2020/00244

1. मंदनगोपाल आ0 श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी बोरखेडा हाल निवासी भोपा कालबेलियो का मोहल्ला श्योपुरिया की बावडी बून्दी

वादी

बनाम

1. आशा बाई पत्नि श्री रमेश जाति मीणा निवासी बोरखेडा हाल निवासी भोपा कालबेलियों का मोहल्ला श्योपुरिया की बावडी बून्दी
2. छोटू आ0 श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी नंदगांव हाल निवासी रामेश्वर चौराहा धनाव तह0 हिण्डोली
3. श्रीमति संजू पत्नि श्री छोटू जाति मीणा निवासी नंदगांव हाल निवासी रामेश्वर चौराहा धनाव तह0 हिण्डोली
4. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तह0 हिण्डोली

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :– श्री कैलाश चन्द नामधराणी
वकील प्रतिवादीगण :–एक पक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :–30/01/2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बोरखेडा पटवार क्षेत्र रामचन्द्रजी का खेडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 5/290 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 5/291 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख.सं. 6/293 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा विरिथत है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने मौके पर आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमियों का अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर रखा है एंव आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से की भूमियों पर पृथक पृथक काश्त कर रहे है किन्तु वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य आज तक वादग्रस्त भूमियों का कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं01 के पति रमेश की आज से करीब 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है एवं रमेश की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्से की भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को संभलाकर ग्राम बोरखेडा को छोडकर ग्राम श्योपुरिया रहने लग गई है। वादग्रस्त भूमियों मे वादी के हिस्से की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी ने आज से करीब 2 वर्ष पूर्व 1,60,000/– रूपये अक्षरे एक लाख साठ हजार रूपये में प्रतिवादी सं02 व 3 को विक्रय करने का इकरार करते हुये प्रतिवादी सं0 2 व 3 से विक्रय राशि 1,60,000/– रूपये में से 1,10,000/– रूपये नकद प्राप्त कर लिऐ थे एवं शेष 50,000/– रूपये प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने विक्रय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की शेष राशि 50,000/– रूपये वादी को अदा नहीं किऐ। इस पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मध्य विवाद होने लग गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने विक्रय राशि के शेष 50,000/– रूपये वादी को देने से इंकार कर दिया। इस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 2 व 3 से कहा कि या तो विक्रय की शेष राशि 50,000 रूपये दो या 1,10,000 रू आप लेकर भूमि का कब्जा वापस मुझे संभलाओ किंतु न तो प्रतिवादी सं0 2 व 3 विक्रय की शेष राशि 50,000 रू देने को तैयार हुऐ और ना ही वादी से 1,10,000 रू लेकर वादी को वादी की भूमि का कब्जा देने को तैयार हुऐ। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मध्य विवाद चलता रहा और प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जबरन बिना शेष विक्रय राशि अदा किऐ 2 वर्ष तक काश्त करते रहे। प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा विक्रय की शेष राशि अदा नहीं करने पर वादी ने प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मध्य हुऐ विक्रय इकरार को रद्द कर दिया एवं अप्रेल 2020 में वादी उक्त विक्रय इकरार की भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात दिनांक 29.4.20 को प्रतिवादी सं0 2 अपने कुछ साथियों के साथ विवादित भूमि पर आया। विवादित भूमियों पर ही वादी का मकान बना हुआ है जहां वादी परिवार सहित निवास करता है, वहां आकर प्रतिवादी सं0 2 व उसके साथयों ने वादी व उसके परिवार में गाली गलौच की एवं वादी को धमकी दी कि वह वादग्रस्त भूमियो मे वादी के हिस्से की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा करेगा एवं वादी को उक्त भूमि पर काश्त नहीं करने देगा। वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मध्य हुये इकरार के रद्द हो जाने के बाद प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की किसी भी भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 29.04.2020 को प्रतिवादी सं0 2 व उसके साथियों के वादी के घर व खेत पर आकर धमकी देने व मारपीट करने का प्रयत्न करने के खिलाफ वादी ने उसी दिन थाना दबलाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना दबलाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना दबलाना में दोनो पक्षो को तलब किया। थाना दबलाना में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 मे मध्य राजीनामा हुआ। राजीनामे के अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 2 व 3 को 1,30,000 रूपये अदा करने थे एवं प्रतिवदी सं0 2 व 3 ने भूमि का कब्जा वादी का होना स्वीकार किया। उक्त राजीनामे की लिखापढी थाना दबलाना मे रूबरू गवाहान लिखी गई व गवाहान के समक्ष वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने उस पर हस्ताक्षर किऐ। उक्त राजीनामे होने के पश्चात दिनांक 05.05.2020 को वादी 1,30,000 रूपये लेकर प्रतिवादी सं0 2 व 3 को अदा करने के लिऐ उनके घर गया किन्तु प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने उक्त राशि लेने से इंकार कर दिया एवं वादी को धमकी दी कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादग्रस्त भूमियो के 1 बीघा 10 बिस्वा हिस्से पर जबरन कब्जा करेंगे एवं वादी को उक्त वादग्रस्त हिस्से पर खेती नहीं करने देगे। वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मध्य हुआ विक्रय इकरार रद्द हो चुका है। कानून की निगाह मे उक्त विक्रय इकरार विक्रय की तारीफ मे भी नहीं आता है और इससे प्रतिवादी सं0 2 व 3 को वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है बावजूद इसके वादी राजीनामे की राशि प्रतिवादी सं0 2 व 3 को आज भी देने को तत्पर एवं तैयार है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 को वादी के हिस्से की किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने एंव वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त भूमियो का वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य विधिवत बंटवारा करावे एवं बंटवारे मे वादी के हिस्से आई भूमियो का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन करावे एवं बंटवारे मे प्राप्त हुई भूमियो का कब्जा प्राप्त करे। साथ ही वादी प्रतिवादी सं0 2 व 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अधिकारी है कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी के हिस्से व कब्जे की भूमियो पर वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं न ही वादी के हिस्से की भूमियो पर जबरन कब्जा करे न ही किसी अन्य से करावे। वादी को वाद कारण दिनांक 29.04.2020 को वादी के हिस्से की भूमियो मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने व दिनांक 05.05.2020 को भी उक्त प्रकार की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद अवधि मध्य पेश है। प्रतिवादी सं0 4 भूमिधारी होने व वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमियों ग्राम बोरखेडा तह0 हिण्डोली जिला बूंदी में विरिथत होन के कारण न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निश्चित न्याय शुल्क व तबलबाने के साथ पेश है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई।

प्रतिवादी नं. 01 लगायत 03 बावजूद तामिलों के अनुपरिथत रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांकः–15.03.2024 को दिए गए। प्रतिवादी संख्या 04 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। तनकीयात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 3 सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 12.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार दबलाना को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/1817 दिनांकः– 27.11.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व माडल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. गोपाल पिता मांगीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/1 5/291/1 6/293/1	0.3184 0.3426 0.0431
	योग	किता– 3	**0.7041**
2.	1. मदन पिता मांगीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/2 5/291/2 6/293/2	0.3183 0.3427 0.0432
	योग	किता– 3	**0.7042**
3.	1. आशाबाई पत्नी स्व0 रमेश जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/3 5/291/3 6/293/3	0.3184 0.3426 0.0432
	योग	किता– 3	**0.7042**

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का नायब तहसीलदार, दबलाना मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. मदनगोपाल आ0 श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी बोरखेडा हाल निवासी भोपा कालबेलियो का मोहल्ला श्योपुरिया की बावडी बून्दी

वादी

बनाम

1. आशा बाई पत्नि श्री रमेश जाति मीणा निवासी बोरखेडा हाल निवासी भोपा कालबेलियों का मोहल्ला श्योपुरिया की बावडी बून्दी
2. छोटू आ0 श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी नंदगांव हाल निवासी रामेश्वर चौराहा धनाव तह0 हिण्डोली
3. श्रीमति संजू पत्नि श्री छोटू जाति मीणा निवासी नंदगांव हाल निवासी रामेश्वर चौराहा धनाव तह0 हिण्डोली
4. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तह0 हिण्डोली

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–51/दावा/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री कैलाश चन्द नामधराणी एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	2. गोपाल पिता मांगीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/1 5/291/1 6/293/1	0.3184 0.3426 0.0431
	योग	किता– 3	**0.7041**
2.	2. मदन पिता मांगीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/2 5/291/2 6/293/2	0.3183 0.3427 0.0432
	योग	किता– 3	**0.7042**
3.	2. आशाबाई पत्नी स्व0 रमेश जाति मीणा सा0 देह खातेदार	5/290/3 5/291/3 6/293/3	0.3184 0.3426 0.0432
	योग	किता– 3	0.7042

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–30.01.2026 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान		00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)